रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 199] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 1985/वैशाख 12, 1907
No. 199] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 1985/VAISAKHA 12, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मई, 1985

अधिसूचना

सा०का०नि० 396 (अ).—विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि. आ. 340(अ) तारीख 2 अप्रैल, 1985 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 2 अप्रैल, 1985 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां, 2 अप्रैल, 1985 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप के संबंध में उन व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये 20 मई, 1985 को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 में,—

(1) नियम 4 (क) में, नियम 16 के उपनियम (1) और उप नियम (3) के खण्ड (क) और (ख) में, "प्ररूप धक या प्ररूप धख" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "प्ररूप "घ" शब्द और अक्षर रखे जायेंगे।

(2) नियम 15 के उप नियम (2) में, "प्ररूप धख" शब्द और अक्षरों के स्थान पर "प्ररूप "घ" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(3) नियम 16 के उप नियम (6) में "प्ररूप धक, धख" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "प्ररूप घ" शब्द और अक्षर रखे जायेंगे।

(4) "प्ररूप धक और धख" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जायेगा, अर्थात् :—

सं. :

एमबारकेशन/डिएएमबारकेशन कार्ड

"प्ररूप घ" :—(कृपया बाल पाइंट पैन से भरें और प्रस्थान/पुर्नप्रवेश के समय उपयोग के लिए कारबन प्रति को अच्छी हालत में रखें"।

1. पूरा नाम
श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(उपनाम) (अन्य नाम)

2. जन्म तिथि.....
(दिन) (माह) (वर्ष)
जन्म स्थान (स्थान) (देश)

3. राष्ट्रियता

4. पासपोर्ट सं..... जहां से जारी किया गया है.....
(स्थान)..... कब जारी किया गया है(तारीख) ।

5. वीजा सं.....जहां से जारी किया गया है (स्थान.....कब जारी किया गया है.....(तारीख) ।

6. पिता/पति का नाम.....

7. अधिवास के देश में पता.....

8. उपजीविका.....

9. यात्रा का उद्देश्य : पर्यटन/अवकाश/कारबार रोजगार/सम्मेलन/अध्ययन/मित्रों और नातेदारों/अन्य व्यक्तियों से भेंट.....

10. भारत में वास की आशयित अवधि और पता (आने वाले यात्रियों के लिए).....

11. भारत में पता (आने वाले यात्रियों के लिए)

12. एमबारकेशन का पत्तन और उड़ान सं या जलयान का नाम (आने वाले यात्रियों के लिए).....

13. डिसएमाबरकेशन का पत्तन और उड़ान संख्या या जलयान का नाम (प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए)

14. भारत में पिछला पता (प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए

हस्ताक्षर

सं०.....

15. क्या आप पिछले छः दिनों के दौरान लेटिन अमरीका या अफ्रीका या वेस्ट इंडीज या पापुआ न्यू गिनी में रहे हैं या उनसे होकर आये हैं.....

हां नहीं

सं.....

सीमा शुल्क की निकासी के लिए सं.....

1. पूरा नाम.....
श्री/श्रीमती/कुमारी (उपनाम) (अन्य नाम)
हाथ का सामान

2. पैकेजों की संख्या जिसके अन्तर्गत हैंडबेग भी हैं

3. कोई साथ न जाने वाला सामान

.....

हस्ताक्षर

टिप्पण : सीमाशुल्क की निकासी के लिए दो चैनल है। हरा चैनल ऐसे यात्रियों के लिए हैं जिनके पास कोई शुल्क्य या साथ न जाने वाला सामान नहीं है। लाल चैनल ऐसे यात्रियों के लिए है जिनके पास कोई शुल्क्य और साथ न जाने वाला सामान है।

[सं० 11013/7/84-एफ-1]
सुरजीन सिंह, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd May, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 396(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Registration of Foreigners Rules, 1939, were Published, as required by section 3 of the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939), in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3-Sub-section (i), dated the 2nd April, 1985, under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 340(E), dated the 2nd April, 1985 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date of publication of that notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 2nd April, 1985;

And whereas objections and suggestions on the said draft ceived from the persons likely to be affected thereby have n considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by ction 3 of the said Act, the Central Government hereby kes the following rules further to amend the Registration Foreigners Rules, 1939, namely :

(1) These rules may be called the Registration of Foreigners (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the 20th May, 1985.

In the Registration of Foreigners Rules, 1939 :—

(i) In rule 4A, clauses (a) and (b) of sub-rule (1) and sub-rule (3) of rule 16, for the word and letters "Form DA or Form DB", the word and letter "Form D" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2) of rule 15, for the word and letters "Form DB", the word and letter "Form D" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (6) of rule 16, for the word and letters "Form DA, DB", the word and letter "Form D" shall be substituted;

(iv) for "Form DA and DB", the following. Form shall be substituted, namely :—

"Form D

No.....

EMBARKATION/DISEMBARKATION CARD

(Please fill up with ball-point pen and retain carbonised copy in good condition for fuse at the time of departure/re-entry)".

1. Name in full.....
Mr/Mrs/Miss (Surname) (Other Names)

2. Date of birth.....
(Day) (Month) (Year)

Place of birth
(Place) (Country)

3 Nationality

4. Passport Number Issued at on
(Place) (Date)

5. Visa Number Issued at on
(Place) (Date)

6. Father's/Husband's Name

7. Address in country of domicile

8. Occupation

9. Purpose of visit :—

Transit ☐ Holiday ☐ Business ☐

Employment ☐ Conference ☐ Study ☐

Visiting Friends and relatives ☐ others..... ☐

10. Intended duration of stay

11. Address of stay in INDIA (for arriving passengers)

12. Port of embarkation and flight number or vessel's Name (for arriving passengers'

13. Port of disembarkation and flight number or vessel's name (for Departing passengers)

14. Last address in India (for departing passengers'

.....
Signature

No

15. Have you been to or transited through any country in Latin America or Africa or West Indies or Papua New Guinea during last six days Yes ☐ No ☐

No

FOR CUSTOMS CLEARANCE

1. Name in full

Mr/Mrs/Miss
(Surname) (Other names)

2. Number of packages including hand baggage

3. Any unaccompanied baggage?

.....
Signature

NOTE :

There are two channels for customs clearance. Green Channel is for passengers not having any dutiable or unaccompanied baggage.

Red Channel is for passengers having dutiable or unaccompanied baggage.

[No. 11013/7/84-F-I]
SURJIT SINGH, Jt. Sey.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985